भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2377

(सोमवार, 3 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक संबंधी बाजार अध्ययन

2377. डॉ. शशि थरूरः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक के संबंध में कोई बाजार अध्ययन कराया है;
(ख) यदि हां, तो इसके विचारार्थ विषयों, चयनित एजेंसी, पूरा करने की समय-सीमा और इसकी वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का प्रस्तावित डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले बाजार अध्ययन के निष्कर्षों को सार्वजनिक करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने डिजिटल अर्थव्यवस्था के संबंध में एक पृथक बाजार अध्ययन करने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो क्या यह प्रस्तावित डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक के संबंध में मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए बाजार अध्ययन से भिन्न है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून संबंधी समिति (सीडीसीएल) द्वारा प्रस्तुत डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक (डीसीबी) के मसौदे के संबंध में "बड़ी तकनीकी कंपनियों और कोर डिजिटल सेवाओं के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक सीमा" पर बाजार अध्ययन करने के लिए प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई), गुरुग्राम, हरियाणा के साथ 18.05.2026 को समझौता किया है। बाजार अध्ययन के विचारार्थ विषय अनुलग्नक-1 में दिए गए हैं।

समझौते के अनुसार, अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर 2026 तक अपेक्षित है। एमडीआई ने साहित्य समीक्षा, द्वितीयक अनुसंधान मंत्रालय को प्रस्तुत किया है और विभिन्न हितधारकों/विशेषज्ञों के साथ परामर्श भी शुरू कर दिया है।

(ग): उपर्युक्त बाजार अध्ययन से साक्ष्य-आधारित आधार प्रदान करने की आशा है, जो सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करने में सक्षम होगा। बाजार अध्ययन के भाग के रूप में किए जा रहे परामर्श के अतिरिक्त, उपरोक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित डीसीबी के मसौदे पर अंतिम निर्णय लेने से पहले बाजार अध्ययन के निष्कर्षों पर उचित सार्वजनिक परामर्श भी किया जाएगा।

(घ): जी, नहीं।

अनुलग्नक-I

अध्ययन के विचारार्थ विषय नीचे दिए गए हैं:

(i) डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक (डीसीबी) के मसौदे की प्रस्तावित गुणात्मक और मात्रात्मक सीमाओं की समीक्षा और मूल्यांकन करना;

(ii) डीसीबी के मसौदे में प्रस्तावित कोर डिजिटल सेवाओं की सूची की समीक्षा करना;

(iii) प्रतिस्पर्धा और बाजार प्रवेश पर संभावित प्रभाव सहित इन सेवाओं और हितधारकों पर डीसीबी के मसौदे के प्रभावों का मूल्यांकन करना; तथा

(iv) स्टार्ट-अप और एमएसएमई सहित छोटे प्रतिभागियों पर प्रस्तावित पूर्व-निर्धारित ढांचे के संभावित प्रभाव का आकलन करना।
